संख्याः 585 /XVIII(II)/2011–1(85)/2010

प्रेषक,

**डॉ0 राकेश कुमार,**
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**जिलाधिकारी,**
उधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 4 मार्च, 2011

विषयः–**गुरू कृपा एजुकेशन ट्रस्ट, बाजपुर को, ग्राम मुण्डियाअनी, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर में, पॉलिटेक्निक कालेज की स्थापना हेतु कुल 5.00 एकड़ भूमि, दान में प्राप्त किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध मे।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–04/सात–स0भू0अ0/2010, दिनांक–3.8.2010 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, गुरू कृपा एजुकेशन ट्रस्ट, बाजपुर को, ग्राम मुण्डियाअनी, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर में, पॉलिटेक्निक कालेज की स्थापना हेतु कुल 5.00 एकड़ भूमि, दान में प्राप्त किये जाने की अनुमति, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 154(2) के अन्तर्गत, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दी गयी अनापत्ति/सहमति एवं आपके द्वारा संस्तुत खसरा संख्या–63/2 के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– केता द्वारा दान में प्राप्त की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के दाननामा विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसकों राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (पॉलिटेक्निक कालेज की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था,उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों। जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया है कि, दान कर्ता हाल ही में वर्ग–2 के खातेदार से, संक्रमणीय अधिकार वाले खातेदार बने है। अतः उनके संक्रमणीय अधिकार की पुष्टि, दाननामा विलेख पंजीकरण से पूर्व पुनः कर ली जायेगी।

.....2

6- ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित भूमि को उपयोग मात्र पॉलिटेक्निक कालेज की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। इसके साथ ही प्रस्तावित भूमि का उपयोग, किसी अन्य कार्य हेतु किये जाने पर, उक्त भूमि स्वतः ही राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी एवं संस्था के विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

7- ट्रस्ट द्वारा नियमानुसार, ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित समस्त नियमों का पालन किया जायेगा।

8- ट्रस्ट द्वारा, सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 123 के विधिक प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसके अनुसार स्थावर सम्पत्ति के दान के प्रयोजन के लिए अन्तरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित कम से कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत विलेख आवश्यक है।

9- किसी दशा में दान प्राप्तकर्ता को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नही होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो, इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

10- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नही होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

11- योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी ।

12- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

13- उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धो का उल्लघंन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जैसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से जारी किये जाने वाले कार्यालय आदेश की एक प्रति अनिवार्य रूप से शासन को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 राकेश कुमार)
सचिव।

पृ0प0सं0- /समदिनांकित 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।

3- आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।

4- श्री मनदीप सिंह ढिल्लो, सचिव, गुरू कृपा एजुकेशन ट्रस्ट, ग्राम मुण्डियाअनी, तहसील, बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर।

5- निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।

6- प्रभारी, मीडिया केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

040315